



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 905]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016/पौष 10, 1938

No. 905]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016/PAUSA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2016

सं. 49/2016—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 1196(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क (टैरिफ) अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 [जैसा कि वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की आठवीं अनुसूची के द्वारा संशोधन की मांग की गई थी] में और आगे भी संशोधन करती है यथा :—

2. उक्त प्रथम अनुसूची में,—

(2) अध्याय 29 में शीर्ष 2937 में,—

(i) टैरिफ मद 2937 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निरसित किया जाएगा ;

(ii) कालम (2) की प्रविष्टि के टैरिफ मद यह 2937 90 11 के सक्षम “इपिनेफ्राइन” प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(3) अध्याय 38 के समक्ष टैरिफ मद 3824 91 00 ;

(i) कालम (3) में, प्रविष्टि “किग्रा” को अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) कालम (4) में प्रविष्टि “12.5%” को अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(4) अध्याय 44 में शीर्ष 4421 में, टैरिफ मद 4422 91 12, 4423 91 13, और 4424 91 14 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“ 4421 91 12	---- जूट मशीनरी के लिए	किग्रा	12.5%	-
4421 91 13	---- सिल्क रिजनेरिटिड और सिन्थेटिक फाइबर मशीनरी के लिए	किग्रा	12.5%	-
4421 91 14	---- अन्य मशीनरी के लिए	किग्रा	12.5%	-”;

(5) अध्याय 55 में शीर्ष 5502 के लिए उपशीर्ष 5502 00, टैरिफ मद 5502 00 10 से 5502 00 90 तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“5502 कृत्रिम फिलामेंट टो

5502 10	-- सेलुलोस एसिटेट का			
5502 10 10	--- विस्कोस रेयान टो	किग्रा.	12.5%	-
5502 10 90	--- अन्य	किग्रा.	12.5%	-
5502 90	-- अन्य;			
5502 90 10	--- विस्कोस रेयान टो	किग्रा.	12.5%	-
5502 90 90	--- अन्य	किग्रा.	12.5%	-”;

(5) अध्याय 94 में शीर्ष 9403 में, टैरिफ मद 9401 82 00 और 9401 83 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“ 9403 82 00	-- बांस का	यू	12.5%	-
9403 83 00	-- रट्टन का	यू	12.5%	-”

3. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं . 528/01/2016- एसटीओ (टीयू)]

जुबैर रियाज, निदेशक(सीमा-शुल्क)

नोट:—केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची में केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के द्वारा पहली बार संशोधन किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 27/2006—केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 सा.का.नि. 776(1) दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2016

No. 49/2016-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 1196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 [as sought to be amended by Eighth Schedule to the Finance Act, 2016, (28 of 2016)] namely:-

1. In the said First Schedule, -

(1) in Chapter 29, in heading 2937,-

(i) tariff item 2937 31 00 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) against tariff item 2937 90 11 for the entry in column (2), the entry “Epinephrine” shall be substituted;

(2) in chapter 38, against tariff item 3824 91 00;

(i) in column (3), the entry “kg.” shall be inserted;

(ii) in column (4), the entry “12.5%” shall be inserted;

(3) in Chapter 44, in heading 4421, for tariff items 4422 91 12, 4423 91 13, and 4424 91 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“ 4421 91 12	- - - - For jute machinery	kg.	12.5%	-
4421 91 13	- - - - For silk regenerated and synthetic fibre machinery	kg.	12.5%	-
4421 91 14	- - - - For other machinery	kg.	12.5%	-”;

(4) in Chapter 55, for heading 5502, sub-heading 5502 00, tariff items 5502 00 10 to 5502 00 90 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“5502 ARTIFICIAL FILAMENT TOW

5502 10	-- Of cellulose acetate			
5502 10 10	- - - Viscose rayon tow	kg.	12.5%	-
5502 10 90	- - - Other	kg.	12.5%	-
5502 90	-- Other;			
5502 90 10	--- Viscose rayon tow	kg.	12.5%	-
5502 90 90	--- Other	kg.	12.5%	-”;

(5) in Chapter 94, in heading 9403, for tariff items 9401 82 00 and 9401 83 00 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely: -

“ 9403 82 00	- - Of bamboo	u	12.5%	-
9403 83 00	- - Of rattan	u	12.5%	-”

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2017.

[F. No. 528/01/2016-STO (TU)]

ZUBAIR RIAZ, Director(Customs)

Note:-The first amendment to the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985(5 of 1986) was amended by the Central Excise Tariff(Amendment) Act, 2004(5 of 2005) and last amended vide Notification No. 27/2006-Central Excise(N.T.), dated 29th December, 2006 vide number G.S.R. 776(E), dated the 29th December, 2006.